

दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए  
भारतीय निर्यातित खाद्य उत्पादों का विकिरण

754. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि हमारे भारतीय निर्यातक विभिन्न फलों सहित अपने खाद्य उत्पादों का विकिरण अमरीकी पत्तनों पर कर रहे हैं जो फलों में हानिकारक कीड़ों और रोगों की रोकथाम के लिए अनिवार्य है और इसके परिणामस्वरूप सुपुर्दगी में अत्यधिक विलंब हो रहा है और भारतीय निर्यातकों पर लागत का बोझ बढ़ रहा है जबकि ऐसी सुविधाएं देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार कतिपय फलों का विकिरण अमरीकी पत्तनों के स्थान पर स्वदेशी प्रयोगशालाओं को अनुमति देने / अनुमति देने के लिए अमरीकी सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.) संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए भेजे जाने वाले फलों को भारतीय विकिरण सुविधाओं में विकिरणित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) ने विकिरण उपचार के लिए चार भारतीय विकिरण सुविधाओं को अनुमोदित किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहमत पूर्व-निकासी कार्यक्रम के अनुसार यूएसडीए निरीक्षक अनुमोदित सुविधाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए नियत फलों का निरीक्षण करता है। भारत में फलों का विकिरण और निरीक्षण यूएसडीए और भारत के प्लांट क्वारंटाइन निरीक्षकों की उपस्थिति में किया जाता है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है।

\*\*\*\*\*